

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा०पत्र / 55 / 2022

अकबर पुत्र श्री सहज खान जाति मेव निवासी बास डायना तहसील सीकरी जिला भरतपुर राज० जरिये मुख्त्यार आम नसरुद्दीन पुत्र श्री सुमेर जाति मेव निवासी ककराला तहसील सीकरी जिला भरतपुर राज०

.....प्रार्थी०

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अंतर्गत धारा 457 जा०फो० बाबत वाहन बोलेरो पिकअप महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा पंजीयन नंबर आरजे 32/जीसी 5603 वसिलसिले एफआईआर नंबर 92/2021 पुलिस थाना जुरहरा जिला भरतपुर अंतर्गत धारा 5, 6, 8, गौवंश अधिनियम 1995,

उपस्थित :-

- 1-श्री मुकीम खान, अभिभाषक प्रार्थी,
- 2-ए०पी०पी० पैरोकार सरकार अप्रार्थी


निर्णय

दिनांक 28.6.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी वाहन का जरिये मुख्त्यार खास मालिक है। प्रार्थी के उक्त वाहन को पुलिस थाना जुरहरा द्वारा उक्त प्रकरण में जब्त कर लिया है प्रार्थी का वाहन थाना सेवर में खुले में खडा हुआ है जिससे वाहन के खराब होने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त वाहन की पुलिस थाना जुरहरा को अब कोई आवश्यकता नहीं है प्रार्थी को अपने दैनिक कार्यों हेतु उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाकर वाहन बोलेरो पिकअप महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा पंजीयन नंबर आरजे 32/जीसी 5603 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना जुरहरा जिला भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

.....2


जिला कलक्टर
भरतपुर राज०

(2)

अकबर बनाम सरकार
प्रा0पत्र/55/2022


योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना जुरहरा द्वारा गौवंश अधिनियम के तहत जप्त किया गया है। जप्त वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है, जिसके खुले में खड़े रहने से खराब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जासकता है। पुलिस को जप्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने दैनिक कार्य के लिये उक्त वाहन की आवश्यकता है। न्यायालय सुपुर्दगी बाबत जो भी शर्त तैय करेगा प्रार्थी उनकी पालना करेगा।

पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी वाहन का स्वामी नहीं है। उक्त वाहन थाना जुरहरा जिला भरतपुर में एफआईआर नंबर 92/2021 अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, राजस्थान गौवंश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर अधिनियम की धारा 5, 6, 8, में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नही दिया जासकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस थाना जुरहरा जिला भरतपुर राज0 से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, थानाधिकारी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट उल्लेख करते हुये जप्त वाहन में गौवंशीय पशु को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर गौवंश अधिनियम धारा 5, 6, 8, में मु0न0 92/2021 में जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :-

“.....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्देश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित है.....।”

.....3


जिला कलक्टर
भरतपुर राज0

(3)


अकबर बनाम सरकार
प्रा0पत्र/55/2022

इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। हम ए.पी.पी. के तर्कों से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति पुलिस थानाधिकारी कैथवाड़ा, जिला भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

